न्यायालय उपजिलाधिकारी सेवराई, गाजीपुर

वाद संख्या–26 धारा 80 ज0 वि0 अधि0

मौजा–रामपुर कनवा, परगना–जमानियाँ

स्व0 चन्द्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री स्मारक ट्रस्ट बनाम गाँव सभा आदि।

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्रबन्धक उमाशंकर सिंह पुत्र श्री राम निवास सिंह प्रबन्धक स्व0 चन्द्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री स्मारक ट्रस्ट सेवराई, मदौरा, परगना–जमानिया को बतौर प्रतिवादी बनाते हुए मौजा–रामपुर कनवा, परगना–जमानिया, तहसील–सेवराई स्थित आराजी सं0 198 रकबा 0.8640 हे0 को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1427–1432 व खसरा 1426 फसली दाखिल किया है।

प्रार्थना पत्र की जाँच तहसीलदार सेवराई से कराये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र तहसीलदार को प्रेषित किया गया। क्षेत्रीय लेखपाल/रा0 नि0/नायब तहसीलदार व तहसीलदार ने अपनी जाँच आख्या प्रस्तुत किया है जिसमे मुख्य रूप से उल्लेख किया है कि ग्राम–रामपुर कनवा, परगना–जमानिया, स्थित आराजी सं0 198 रकबा 0.8640 हे0 पर चन्द्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री स्मारक फार्मेसी कालेज के चाहारदीवारी व भवन से आच्छादित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। अतः कृषि प्रयोजन से भिन्न अकृषित घोषित करने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

सूचना हेतु विपक्षीगण को सम्मन जारी किये गये जो संलग्न पत्रावली है। किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी।

मैने तहसीलदार की जाँच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/सबूतों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध आख्या से स्पष्ट है कि मौजा रामपुर कनवा, परगना–जमानियां स्थित आराजी सं0 198 रकबा 0.8640 हे0

पर चन्द्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री स्मारक फार्मेसी कालेज की चाहारदीवारी व भवन से आच्छादित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में राजस्व अधिनियम की धारा–80 के तहत आ0 नं0 को कृषि से भिन्न प्रख्यापित किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

आदेश

अतः तहसीलदार आख्या दिनांक 29.08.2022 से सहमत होते हुए मौजा–रामपुर कनवा, परगना–जमानिया स्थित आराजी 198 रकबा 0.8640 हे0 को कृषि से भिन्न प्रख्यापित किया जाता है। परवाना अमल दरामद जारी हो बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांक: 30-8-2022

(राजेश प्रसाद चौरसिया)
उपजिलाधिकारी सेवराई
जनपद–गाजीपुर

आज यह निर्णय खुले न्यायालय हस्ताक्षरित दिनांकित एवं घोषित।

दिनांक: 30-8-2022

(राजेश प्रसाद चौरसिया)
उपजिलाधिकारी सेवराई
जनपद–गाजीपुर

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 20679220221212

ग्राम कोड : 206792 ग्राम का नाम / परगना : रामपुर कलां(जमानिया) तहसील : सेवराई जनपद : गाजीपुर फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	मौरूसी अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो							
00019	कमला गिरी / कैलाश / बकसड़ा	1400फ.	198	0.8640		शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा [illegible] गाजीपुर के [illegible] पत्र व पुष्टिकृत आदेश दिनांक 16-07-2020 व तहसीलदार सेवराई के अनुपालन आदेश दिनांक 17-07-2020 के अनुपालन में मौजा रामपुर कलां के खाता सं0 19 आराजी 198/0.86480 के अंश सम्पूर्ण भूमि के काश्तकार कमला गीरी पुत्र कैलाश निवासी बकसड़ा परगना जमानियाँ तहसील सेवराई जिला गाजीपुर के नाम की भूमि बैंक के पक्ष में बन्धक की जाती है ह0(अस्पष्ट)22/07/2020 न्यायालय तहसीलदार सेवराई वाद संख्या 1202114290701639 आदेश 23-07-2022 आदेश हुआ कि मौजा रामपुर कलां परगना जमानियाँ की खतौनी वर्ष 1427-1432 फसली के खाता संख्या 19 की आराजी संख्या 198 रकबा 0.8640है0 सम्पूर्ण मुताबिक [illegible] से विक्रेता कमला गिरी पुत्र कैलाश साकिन बकसड़ा परगना जमानियाँ तहसील सेवराई जिला गाजीपुर का नाम खारिज होकर क्रेता [illegible] साकिन सेवराई परगना जमानियाँ तहसील सेवराई जिला गाजीपुर का नाम पंजीकृत बैनामा दिनांक 28.06.2021 के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर खातेदार अंकित हो। ह0(अस्पष्ट) 23-07-2022	शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा [illegible] गाजीपुर के [illegible] पत्र व पुष्टिकृत आदेश दिनांक 20-07-2020 व तहसीलदार सेवराई के अनुपालन आदेश दिनांक 21-07-2020 के अनुपालन में मौजा रामपुर कलां के खाता सं0 19 आराजी 198/0.86480 के अंश सम्पूर्ण भूमि के काश्तकार कमला गीरी पुत्र कैलाश निवासी बकसड़ा परगना जमानियाँ तहसील सेवराई जिला गाजीपुर के नाम की भूमि बैंक के पक्ष में से बन्धक मुक्त की जाती है ह0(अस्पष्ट)21-07-2022
			1	0.8640	₹ 21.25	2	1

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव आठ छः चार शून्य (हैक्टेयर) कुल भू-राजस्व - दो एक दशमलव दो पाँच रुपये

भूलेख कार्यालय तहसील-सेवराई, गाजीपुर

...ata Digitally Signed by: MARTAND KUMAR

[illegible] http://upbhulekh.gov.in Website [illegible]

सत्यापन अधिकारी: JEET LAL CHAUDHARY

[illegible]

[illegible]: 20-12-2022 01:24:43

[illegible]